

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/272
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00264
CICOM/R/2017/00914

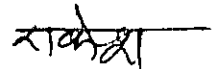
दिनांक: 13.09.2017

अपीलकर्ता : श्री मणिकेश चतुर्वेदी,
राष्ट्रीय अध्यक्ष,
राष्ट्रीय लोक तंत्र दल,
यू-74, शकरपुर, दिल्ली -110092.

निर्णय की तारीख: 13.09.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	24.07.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	27.07.2017, 18.08.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा, श्रीमती सविता तलूजा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	04.09.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	FAA/363/11.09.2017 (162762/07.09.2017)

1. अपीलकर्ता ने अपने दिनांक 24.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा एवं श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल किया है तथा उल्लेख किया है कि वे प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट हैं।
2. संबंधित संचिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 24.07.2017 के आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा एवं श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा विंदुवार सूचना प्रदान कर दी गई है। प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है।



(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

